मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण

डॉ. अश्विनी महाजन (प्राध्यापक) Doi : Https://Doi.Org/10.61703/Re4

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र ''मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण'' पर आधारित है एवं अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के दुर्ग एवं भिलाई शहरी क्षेत्र में निवासरत मुस्लिम परिवारों का चयन किया गया है। प्रस्तुत षोध के अध्ययन के उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जिसमें क्षेत्र के मुस्मिल परिवारों से 18 से अधिक आयु वर्ग के तलाकशुदा 120 महिलाओं का चयन कर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्यों को संकलित किया गया है, जिसके अंतर्गत दुर्ग–भिलाई शहरी क्षेत्र में संकेन्द्रित रूप में निवास करने वाले परिवारों के महिलाओं का चयन किया गया है जो तीन तलाक जैसे कुप्रथा के कारण अपने परिवार से अगल हुए हैं। षोध पत्र में जनप्रतिनिधियों की शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों से संबंधित तथ्यों को संकलित व विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्राप्त हुआ है कि वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू तीन–तलाक (मुस्लिम महिला अधिकार एवं संरक्षण कानून, 2019) उक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि अधिकांश महिला एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिससे मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की कमी एवं आत्म–निर्भरता का न होना एक बड़ी समस्या है जिसके कारण पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक के साथ–साथ मानसिक एवं परिवारिक समस्याओं से ग्रस्त है तथा पारंपरिक एवं रूढ़िवादी समाज होने के कारण इस वर्ग की महिलाओं के लिए शासकीय प्रयास भी विफल होते नज़र आते हैं।

शब्द कुँजी : सामाजिक कुप्रथा, मुस्लिम महिला अधिकार एवं संरक्षण कानून, तीन तलाक व सामाजिक दृश्टिकोण।

प्रस्तावना

भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने एक लम्बे समय से तीन तलाक नाम कुप्रथा का दंश झेला है जिसके कारण संबंधित महिलाओं की सामाजिक–मानसिक स्थिति दयनीय हो गई है। मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक एवं वैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा हमारे देश में 01 अगस्त 2019 को तीन तलाक (Triple Talaq) के खिलाफ कानून लागू किया गया। जब से यह कानून सम्पूर्ण देश में लागू हुआ, तब से अब तक इसमें लगभग 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। दुनिया के सभी प्रमुख धर्म में सम्बन्ध विच्छेद (तलाक) पाया जाता है, किन्तु जो तलाक के प्रावधान मुस्लिम धर्म में है, जिसे ''तीन तलाक'' के नाम से जाना जाता है, लम्बे समय से विवाद का विषय बना हुआ था। इससे मुस्लिम महिलाओं में अचानक होने वाले तलाक का भय ''निकाह'' (विवाह) के पश्चात् से बना हुआ रहता है। मुस्लिम महिलाओं को यदि उसके सौहर (पति) तीन बार तलाक षब्द कह दे तो उनके बीच तलाक (सम्बन्ध विच्छेद) हो जाता था। प्रत्येक समाज को ज्ञात है कि, पति–पत्नि के सम्बन्ध में तलाक होने से पारिवारिक एवं भावनात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है तथा परिवार के साथ–साथ बच्चों के भविष्य एवं उस महिला के जीवन पर प्रष्न चिन्ह लग जाता है।

Professor Sociology . Govt. V.Y.T. PG. Autonomous college Durg, Chhattisgarh.

सैद्धांतिक स्थिति

इस्लाम में, विवाह एक नागरिक अनुबंध और धार्मिक कर्तव्य दोनों है, जहाँ पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अन्य धर्मों के बावजूद इस्लामी विवाह में एक अंतर यह है कि दूल्हे की ओर से 'महर' का प्रचलन है और इसे वित्तीय सुरक्षा के स्रोत के रूप में माना जाता है और तलाक के मामले में यह वापस नहीं किया जाता है। इस्लाम में विवाह को 'निकाह' कहा जाता है, जो एक नागरिक अनुबंध है और इससे जुड़े चार स्तंभ हैं 'इजाबी'– प्रस्ताव, 'कुबुल'–स्वीकृति, सक्षम पक्ष और कोई कानूनी अक्षमता नहीं। पवित्र कुरान में निकाह में तलाक के बारे में एक अध्याय ''तलाक'' में विस्तार से बताया गया है। इन परिस्थितियों में, इस्लाम में तलाक की पाँच प्रक्रियाओं को उजागर करना आवश्यक है। 'मुबारा' (आपसी सहमति), 'तलाक' (अस्वीकृति), तलाक–ए–तस्वीद (प्रत्यायोजित तलाक), खुला (मोचन) और फस्ख (न्यायिक निरस्तीकरण) और इनमें पुरुषों और महिलाओं को तलाक का अधिकार है। इसमें 'तलाक' पति की कार्रवाई है, जबकि 'तलाक–ए–तस्वीद और खुला, फस्ख' पत्नी के विशेषाधिकार हैं जो पत्नी द्वारा शुरू किए जाते हैं और 'मुबारा' आपसी सहमति से किया जाता है। इसी से जुड़ा हुआ है 'ट्रिपल तलाक', जो एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, क्योंकि यह एकतरफा है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार,भारत में मुसलमानों के उत्तराधिकार और दान कानून 1937 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) द्वारा शासित होते हैं। 1939 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को पति के चार साल तक लापता रहने, पत्नी को भरण–पोषण देने में पति की विफलता, पति को सात साल की कैद, पति की नपुंसकता, पति का पागलपन, यौन रोग, क्रूरता का कार्य आदि के आधार पर विवाह विच्छेद करने का अधिकार देता है। (राजसेना एवं राजीव,2022 पृ 202)

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 "मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक के उच्चारण पर रोक लगाने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम है" (प्रकाशन नियंत्रक, 2019)। यह अधिनियम तलाक–ए–बिद्दत या ट्रिपल तलाक के रूप में लागू हुआ, जिसका कुछ लोगों द्वारा अभ्यास किया गया था, जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष को तलाक के कारणों का हवाला दिए बिना तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार था। कुछ मामलों में, तलाक के दौरान पत्नी का मौजूद होना जरूरी नहीं है। इस प्रथा की भेदभावपूर्ण प्रकृति को शायरा बानो ने इंगित किया, जिन्होंने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तलाक की इस प्रथा को चुनौती दी। इसके बाद 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाक का यह तरीका संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है (कुमार, 2019)। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए 19 सितंबर को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 नाम से कानून लागू किया गया। उसी साल दो और अध्यादेश जारी किए गए। इस पृष्ठभूमि के साथ लोकसभा ने 25 जुलाई, 2019 को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया और राज्यसभा ने इसे 30 जुलाई, 2019 को पारित किया। भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 19 सितंबर, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ, जिसने 19 सितंबर 2018 को प्रख्यापित पहले अध्यादेश को जारी रखा। अधिनियम के अनुसार, पति द्वारा सुनाया गया ट्रिपल तलाक शून्य और अवैध है और इसमें कहा गया है कि पति जुर्माना और 3 साल तक के कारावास के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही, महिलाओं को अपने बच्चों की कस्टडी दी जाती है और वे अपने पति से निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्र हैं। (राजसेना एवं राजीव,2022 पृ 203)

देश में ट्रिपल तलाक होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। 01 अगस्त 2019 को दिल्ली में ''मुस्लिम महिला अधिकार दिवस'' मनाया गया क्योंकि इस 01 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ था। यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए मैग्ना कार्टा की तरह से एक स्वतंत्र अधिकार पत्र साबित हो रहा है। किसी भी प्रकार के कानून उसके दो पक्षों (उजले एवं स्याह) का चेहरा भी होता है। केन्द्रीय अल्प संख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्पष्ट किया कि यह तीन तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मवि"वास को अधिक सुदृढ़ करेगी तथा इस कानून से संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। भारतीय मुस्लिम समाज में पहली बार मुस्लिम समाज वैचारिक विभिन्नताओं के कारण दो वर्गों में विभाजित हुआ, जहाँ किसी पुरूष की नहीं बल्कि उस समाज की महिलाओं की बात की गयी है। इस कानून से पति सिर्फ तीन बार ''तलाक–तलाक–तलाक'' कहकर अपने पत्नि से सम्बन्ध विच्छेद या पत्नि को छोड़ सकता था इसलिए मुस्लिम समाज में महिलाओं को इस तीन तलाक जैसे असंवैधानिक और अमानकीय कानून के वजह से विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

कुमार, हेमंत (2019)[1] ने ''मुस्लिम समाज में विवाह एवं तलाक का अधिकार'' नामक अपने षोध पत्र में बताया कि अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों को लेकर संघर्ष एवं नये प्रतिनिधि निकाय बनाकर सबसे अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है क्योंकि इस वर्ग के महिलाओं के सक्रिय भागीदारी से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं हो रहे अन्याय के प्रति स्वयं ही विरोध करना होगा तभी इस कानून की सार्थक कहा जा सकता है।

अब्दुल्ला, युसुफ अली (2016)[2] ने "The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary" में अपने अनुवादित पुस्तक में तीन तलाक के सन्दर्भ में लिखा है कि कुरान में तीन तलाक जैसे किसी भी षब्द का ज़िक्र नहीं किया गया है बल्कि पवित्र कुरान की आयत '229' एवं '230' में कहा गया है कि आपसी असंगति के कारण तलाक की अनुमति है और अनियमित और बार–बार होने वाले अलगाव और पुनर्मिलन को रोकने के लिए दो तलाक की सीमा निर्धारित की गई है। दो के बाद पुनर्मिलन/तलाक की अनुमति है किन्तु जब एक ही पक्ष के बीच तीसरी बार तलाक कहा जाता है तो यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

1. पारिवारिक एवं भावनात्मक सम्बन्धों के सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का मूल्यांकन करना।
2. शिक्षा के प्रति जागरूकता से षिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करना।
3. सामाजिक–आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना।
4. संवैधानिक एवं कानूनी जागरूकता का मूल्यांकन करना।

समस्या कथन

मुस्लिम संप्रदाय के महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त व मजबूत बनाने के लिए तीन तलाक संबंधी सभी प्रकार की जानकारी होना आव"यक है। इसके अभाव में मुस्लिम महिलाएँ पूर्णतः घरेलू हिंसा व पारिवारिक शोषण के शिकार होती रही है। लेकिन भारत सरकार द्वारा 2019 में तीन तलाक जैसे अभिशाप से मुक्ति पायी हैं। अतः शोधार्थी द्वारा उक्त समस्याओं के समाधान से अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं से संबंधित व पारिवारिक विघटन के कारणों को ज्ञात करने हेतु अध्ययन

की आवश्यकता अनुभव करते हुए समस्या का चयन कर दुर्ग जिले में निवासरत मुस्लिम परिवारों में इससे संबंधित महिलाओं का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत'षोध सामाजिक विकास के दृष्टिकोण, महिलाओं के अधिकारों के हनन व मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार व दुष्प्रभाव को प्रभावी रूप से शासन–प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर इस समस्या के समाधान हेतु और भी अधिक प्रभावी नियम बनाने व लागू करने के साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं में उक्त तथ्यों के सन्दर्भ में जानकारी व जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुर्ग–भिलाई शहर के मुस्लिम महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है, साथ ही द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण हेतु जिला एवं खण्ड विकास कार्यालय, जनसंख्या एवं जनांकिकीय आंकड़ों, शोधपत्रों, प्रकाषित–प्रकाशित शोध प्रबंधों सहित विषय से संबंधित विभिन्न'षासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग–भिलाई शहरी क्षेत्रों में निवासरत मुस्लिम परिवारों का चयन किया गया है। दुर्ग–भिलाई शहरी क्षेत्र के ताकियापारा, केलाबाड़ी, फरीदनगर, पावरहाउस, रिसाली इत्यादि क्षेत्रों में बहुतायत रूप से मुस्लिम परिवारों का संकेन्द्रण है। जिसमें से उत्तरदाताओं के रूप में मुस्लिम परिवारों में तीन तलाक से संबंधित 18 वर्ष से अधिक 120 तलाकशुदा महिलाओं का चयन उद्दश्यपरक चयन विधि के तहत किया गया है।

तथ्यों का विश्लेशण

उत्तरदाताओं की आयु

तालिका क्रमाँक–1

क्र.	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1.	18 – 25	5	4.2
2.	26 – 30	17	14.2
3.	31 – 35	65	54.2
4.	36 – 40	9	7.5
5.	41 – 45	14	11.6
6.	46 से अधिक	10	8.3
योग		120	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित, 2022.

तालिका क्रमाँक–1 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं की आयु संरचना ज्ञात किया गया है जिसमें सर्वाधिक उत्तरदाता 31 – 35 आयु वर्ग के अंतर्गत है जो कुल न्यादर्श उत्तरदाताओं का 54.2 प्रतिशत है, जबकि 18 – 25 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत सबसे कम 7.5 प्रतिशत है। 26 से 30

आयु वर्ग के मध्य उत्तरदाता 14.2 प्रतिषत है। 36 – 40 आयु वर्ग के मध्य उत्तरदाताओं का प्रतिषत 7.5 है। 41 – 45 आयु वर्ग के मध्य उत्तरदाताओं का प्रतिषत 11.6 है एवं 46 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिषत 8.3 है।

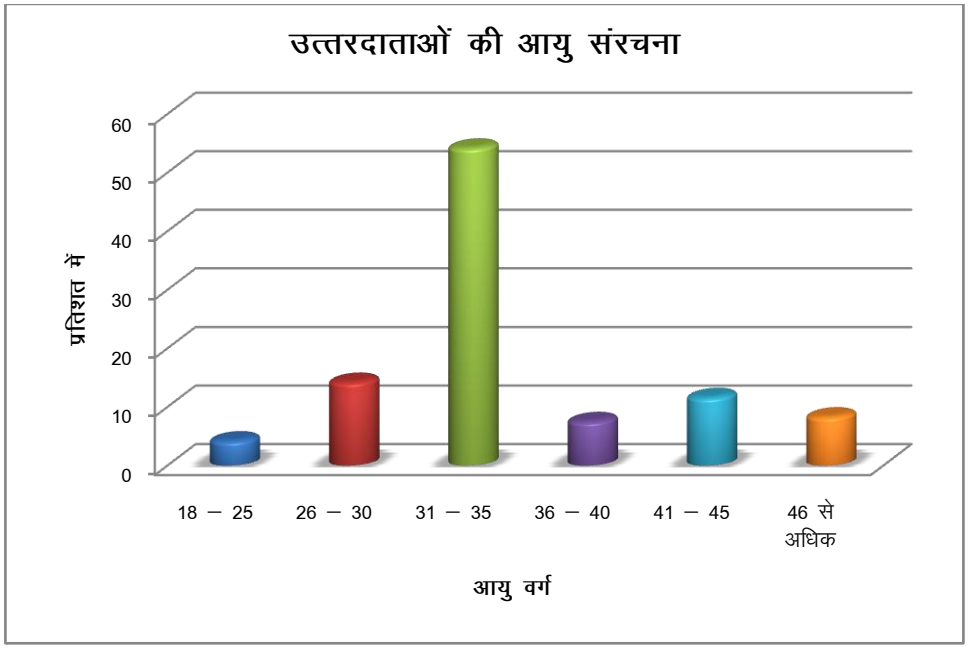

उपरोक्त तथ्यों के वि"लेषण से ज्ञात होता है कि तीन तलाक से संबंधी मुस्लिम महिला उत्तरदाताओं का प्रति"ात 31 – 35 आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की है। इस आयु वर्ग में गृहस्थी के साथ–साथ विभिन्न परिवारिक जिम्मेदारियाँ एवं वैवाहिक जीवन में अत्यधिक उतार–चढ़ाव के कारण इस आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की का प्रतिषत अधिक है। पुरूष वर्ग अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर कार्य करते हैं जबकि महिलाएँ अपना पूरा समय परिवारिक दैनिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं। कभी–कभी आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण पति–पत्नि में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। निम्न आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रति"ात कम होने का प्रमुख कारण वर्तमान में मुस्लिम महिलाओं षिक्षा व रोजगार के प्रति आं"ाक रूप से जागरूक होना है जिसके कारण अधिकांष सबसे कम उत्तरदाताओं की संख्या 18 से 15 आयु वर्ग के मध्य है। जबकि 46 से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी केवल 8.3 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग तक आते–आते विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक बंधनों, बच्चों के परवरिश एवं अन्य पारिवारिक परिस्थितियों के परिपक्व होने से तीन तलाक की स्थिति इस आयु वर्ग के मध्य कम है।

तीन तलाक बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होना

तीन तलाक कानून लागू होने के पश्चात् मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ साथ ही वे मानसिक रूप से मजबूत हुए है और उनमें वैचारिक परिवर्तन भी स्पष्ट हुआ है और वे अपने बच्चों को इसके विरूद्ध शिक्षा के माध्यम से वैचारिक रूप से मजबूत भी बना रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया गया है, जो अग्र तालिका में वर्णित है।

तालिका क्रमाँक–2

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	पूर्ण सहमत	26	21.6
2.	सहमत	47	39.2
3.	तटस्थ	11	9.2
4.	असहमत	21	17.5
5.	पूर्ण असहमत	15	12.5
योग		120	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित, 2022.

तालिका क्रमाँक–2 से स्पष्ट है कि दुर्ग–भिलाई शहरी क्षेत्र के मुस्लिम परिवार के महिलाओं मे ंतीन तलाक कानून लागू होने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होने संबंधी विचारों में सर्वाधिक 39.2 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्ण सहमत व 21.6 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत हैं, जबकि पूर्ण असहमत उत्तरदाताओं का प्रतिशत 12.5 एवं असहमत उत्तरदाताओं का प्रतिषत 17.5 प्रति"ात है। 9.2 प्रतिषत तटस्थ उत्तरदाता है।

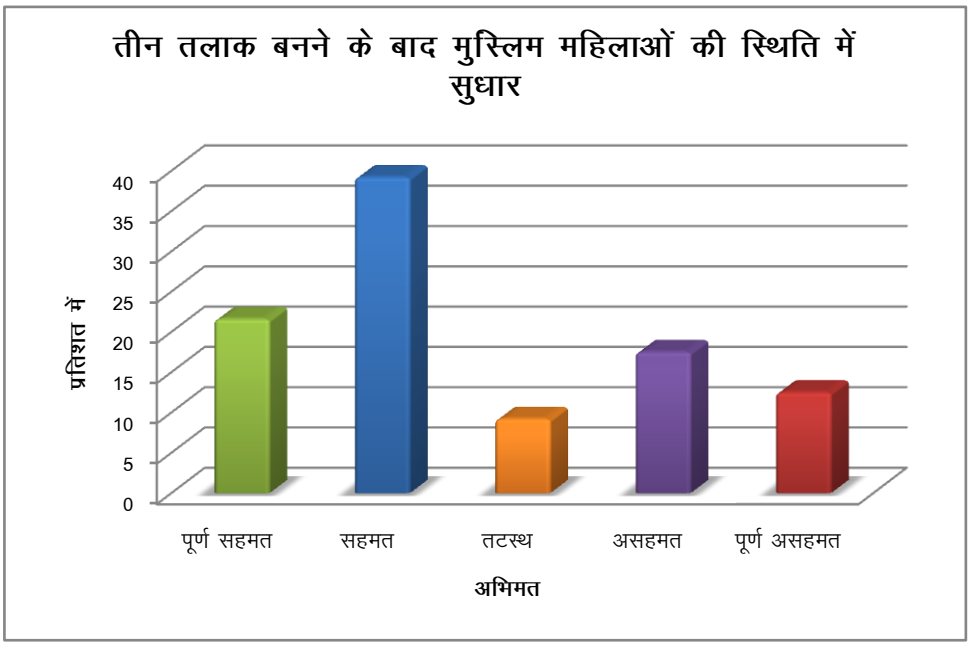

उपरोक्त तथ्यों के विष्लेषण से ज्ञात होता है कि तीन तलाक कानून लागू होने से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक, षारीरिक एवं मानसिक स्थिति में सुधार आया है। कानून के लागू होने से महिलाएँ मानसिक रूप से सषक्त हुई हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने से उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

मुस्लिम महिलाएँ तीन तलाक कानून के लागू होने से मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुदृढ़ हुए हैं।

तालिका क्रमाँक–3

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिषत
1.	पूर्ण सहमत	25	20.8
2.	सहमत	49	40.8
3.	तटस्थ	10	8.4
4.	असहमत	20	16.6
5.	पूर्ण असहमत	16	13.4
योग		120	100

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संकलित, 2022.

तालिका क्रमाँक–3 में मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक कानून लागू होने से मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होने के संबंध में सर्वाधिक 40.8 प्रतिषत उत्तरदाता सहमत हैं और 20.8 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः सहमत है जबकि 16.6 प्रतिशत असहमत व 13.3 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः असहमत हैं। उक्त विचार से तटस्थ उत्तरदाताओं का प्रतिशत 8.4 है।

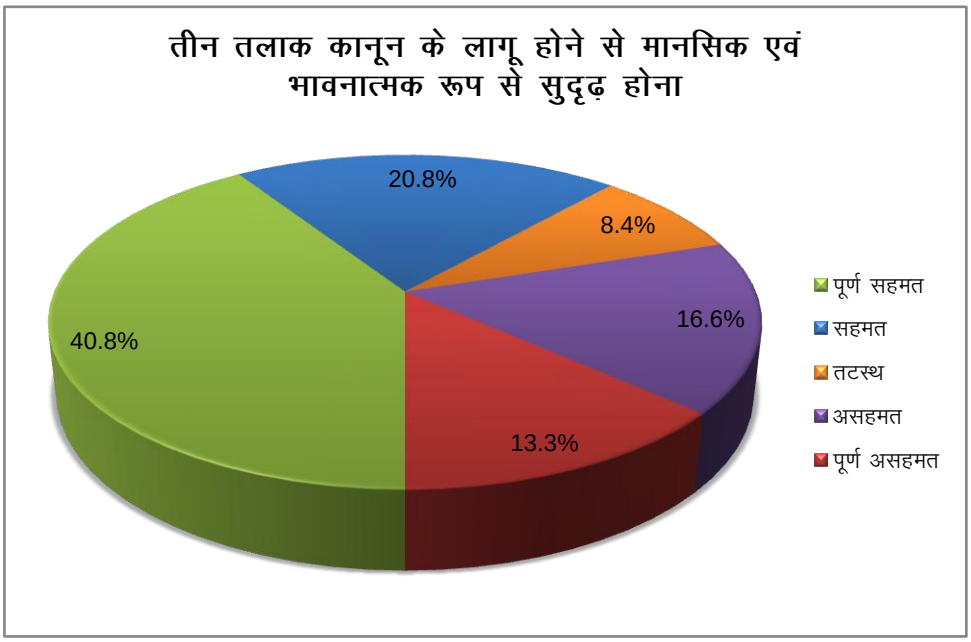

उपरोक्त सारणी मान का काई वर्ग परीक्षण करने पर काई वर्ग का परिकल्पित मान 37.56 प्राप्त हुआ है जो कि 5.0% सार्थकता स्तर एवं स्वतंत्र कोटि 4 पर सारणी मान 9.49 प्राप्त हुआ है जो कि काई वर्ग के मान से कम है। अतः यह परिणाम के तौर पर यह कहा जा सकता है कि तीन तलाक कानून प्रत्येक मुस्मिल महिलाओं को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर रहा है तथा इससे पूर्व की भांति तीन बार तलाक कहकर संबंध–विच्छेद के भय से बाहर निकलकर वे मानसिक रूप सुदृढ़ हुई हैं।

समस्या

1. मुस्लिम महिलाओं में षिक्षा के स्तर निम्न होने से उनमें सामाजिक व संवैधानिक जागरूकता कम है।
2. मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों की कमी है।

3. मुस्लिम महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर है जिससे कारण वे पूर्णतः पुरूषों पर निर्भर हैं इसलिए स्वयं पर हो रहे अत्याचार व षोषण के विरूद्ध सषक्त रूप से सामना नहीं कर पा रही हैं।

सुझाव

1. मुस्मिल समाज में महिलाओं की सामाजिक अधिकारों की कमी है, इन्हें मुख्यधारा में आने के लिए सुदृढ़ षासकीय प्रयास किये जाने चाहिए।
2. आर्थिक क्षेत्र में मुस्मिल महिलाएँ पुरूषों पर निर्भर है, जिसके कारण षोषण के विरूद्ध आवाज नही उठा पाते हैं। अतः इनके लिए योग्यतानुसार प्रषिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था किये जाने की आवष्यकता है।
3. मुस्लिम समाज में महिला षिक्षा प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाने की आवश्यकता है जिससे अधिक संख्या में महिलाएँ षिक्षित होकर राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सके।
4. मुस्लिम महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाए जिससे ये महिलाएँ धार्मिक एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सके।
5. महिला उत्पीड़न रोकने के लिए सामाजिक, धार्मिक संगठनों व मस्जिदों के इमामों को आगे आना चाहिए तथा विभिन्न सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में मुस्लिम महिलाओं में तीन तलाक के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को ज्ञात किया गया है जिसमें यह पाया गया मुस्लिम महिलाओं में निम्न षैक्षणिक स्तर व सामाजिक बंधनों, आर्थिक रूप कमजोर होने के कारण वे परिवार में हो रहे इस अनाचार के विरूद्ध आवाज नहीं उठा पा रही थीं। तीन तलाक कानून के लागू होने से इस वर्ग की महिलाएँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त हुए हैं साथ ही उनके सामाजिक–आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक दशाओं में सुधार दृष्ठव्य है। कानून के लागू होने से महिलाओं में शिक्षा का स्तर व जागरूकता में वृद्धि पायी गई है। इन महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक नियमों के प्रति शिक्षा एवं जागरूकता की आव"कयता है जिसके लिए षासन–प्रषासन को सकारात्मक पहल कर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ–सूची

1. अब्दुल्ला, युसुफ अली (2016) "The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary" किताब भवन, नई दिल्ली, 14वां संस्करण.
2- डी. राजसेनन अनस थरकन, राजीव बी.: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और मलप्पुरम जिले में मुस्लिम महिलाओं के तलाक। जर्नल ऑफ़ पॉलिटी एंड सोसाइटी (2022) 14(2), 201 - 213 https://journalspoliticalscience.com/index.php/i/article/download/238/72/700

3- हसन, जेड. (1989). अल्पसंख्यक पहचान, मुस्लिम महिला बिल अभियान और राजनीतिक प्रक्रिया. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 24(1), 44–50. http://www.jstor.org/stable/4394220

4. जोया हसन (2018) ट्रिपल तलाक उन्नमूलन भारत में लैंगिक न्याय के लिए बड़े अभियान की‘शुरूआत है, द कन्वर्से’’न, 2018.
5. कुमार, हेमंत (2019) मुस्लिम समाज में विवाह एवं तलाक का अधिकार, इंटरनेषलन जर्नल ऑफ ह्युमेनिटिज़ एण्ड सोशल साइंस रिव्यु (IJHSSR) अंक–8, भाग–5, संख्या–1, मई ; 2019, पृष्ठ 79–83.
6. सफी, माइकल (2017, 23 अगस्त) भारत की अदालत ने महिलाओं के अधिकारों की बड़ी जीत में इस्लामी तत्काल तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया, लेख, द गार्जियन.